न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 01/2021

अपीलान्टान	बनाम	रेस्पोडेन्टान
1. ममता पुत्री पोकरनाथ जाति नाथ नि0 झाला की चौकी, तिरोलिया आसन, तह0 रायपुर, जिला पाली राज0।		1. उकारनाथ पुत्र पोकरनाथ 2. अशोकनाथ पुत्र पोकरनाथ, नि0 झाला की चौकी, तिरोलिया आसन, तह0 रायपुर, जिला पाली राज0। 3. सरपंच ग्राम पंचायत गुडाकलां तह0 सोजत जिला पाली।

<u>राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध सरपंच ग्राम पंचायत गुडा कलां द्वारा स्वीकृत ना.स. 445 स्वीकृत दिनांक 20.02.2019</u>

तारीख रजू :— 01.01.2021

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री महेन्द्र चौधरी, श्री गणेशराम देवासी, अधिवक्तागण अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री भारतनाथ अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

दिनांक — 13/10/22

—: निर्णय :—

अधिवक्ता अपीलान्ट ने राजस्व अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि सरहद मौजा गुडा चुतरा एवं ग्राम गुड़ा कलां में अपीलान्ट एवं अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की ग्राम गुड़ा चुतरा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 126 पुराना 122 खसरा नंबर 07 08, 09, 10 कुल खसरा 04 कुल रकबा 5.0500 है0, किस्म चा0दो0जा0दो0गै0मु0बेरा,गै0मु0सड़ा, खाता संख्या नया 123 पुराना 121 खसरा नंबर 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 कुल खसरा 07 कुल रकबा 2.4400 है0 किस्म चा0दो0जा0दो0गै0मु0बेरा,गै0मु0सड़ा, खाता संख्या 128 खसरा नंबर 06 रकबा 0.0400 है0 गै0मु0रास्ता ग्राम गुडा कलां में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 82 पुराना 71 खसरा नंबर 234, 255, 270 कुल खसरा 03 कुल रकबा 4.5600 है0 चा0दो0जा0दो0बा0अ0 है। अपीलान्ट के नाना गोरखनाथ का स्वर्गवास दिनांक 22.09.2018 को हो चुका है तथा अपीलान्ट की माता लीलादेवी का स्वर्गवास दिनांक 25.09.2018 को हो चुका है। अपीलान्ट के नाना गोरखनाथ का एवं अपीलान्ट की माता लीला देवी का स्वर्गवास हो जाने की वजह से उपरोक्त कृषि भूमि में अपीलान्ट का हक व अधिकार निहित हो चुका है। जिस पर अपीलान्ट शांति पूर्वक बिना किसी रोक टोक व बाधा के काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलान्ट के नाना गोरखनाथ का स्वर्गवास दिनांक 22.09.2018 को होने व अपीलांट की माता का स्वर्गवास दिनांक 25.09.2018 को जाने की वजह से उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण पुष्पादेवी के द्वारा भरवाया गया था। पटवारी हल्का गुड़ा चुतरा के द्वारा ग्राम गुड़ा चुतरा की कृषि भूमि जो पद संख्या 01 के सबपद संख्या ए(1,2,3) का नामान्तरण संख्या 445 एवं ग्राम गुड़ा कलां में स्थित कृषि भूमि जो पद संख्या 01 के सबपद संख्या बी का नामान्तरण संख्या 1217 दिनांक 28.01.2019 को दर्ज किया गया है, उस समय पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तरण में अपीलान्ट का नाम पण्डू देवी एवं अपीलान्ट की बहिन का नाम टीनु देवी दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज हुआ है, अपीलान्ट का वास्तविक व सही नाम ममता है तथा अपीलान्ट की बहिन टीनु का सही नाम सरला है। अपीलान्ट व अपीलान्ट की बहन के अन्य दस्तावेजात भी ममता देवी व सरलादेवी के नाम से है। अपीलान्ट के बाल्यकाल अवस्था में पन्डूदेवी व टीनु के नाम से ही जाना व पहचाना जाता

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

है, जिस वजह से पुष्पादेवी के उक्त नामान्तरण दर्ज करवाते समय बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाले नाम ही दर्ज करवा दिया, उक्त नामान्तरण ग्राम पंचायत में सरपंच महोदय द्वारा दिनांक 20.02.2019 को स्वीकृत करते समय अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस व सूचना नही दी गई, नही वारिसान के सही नाम बाबत जांच की गई। उक्त नामान्तरण स्वीकृत करने में सरपंच ग्राम पंचायत गुडा कला द्वारा तथ्यात्मक भुल की गई है। पटवारी हल्का के द्वारा दर्ज किये गये ग्राम गुडाकलां के नामान्तरण संख्या 1217 स्वीकृत दिनांक 20.02.2019 एवं ग्राम गुड़ाकलां के नामान्तरण संख्या 445 स्वीकृत दिनांक 20.02.2019 के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकड्ढ जमाबंदी में नाम दर्ज किया गया, जो गलत दर्ज हुए है। उक्त नामान्तरण स्वीकृत करते समय एवं आर0आई सर्किल के द्वारा जांच करते समय गोरखनाथ के सभी विधिक वारिसान के सही व वास्तविक नामों की कोई जांच नही की गई। उक्त कृषि भूमि में अपीलान्ट का व अपीलान्ट के बहन का नाम गलत दर्ज हुआ है। अपीलान्ट उक्त कृषि भूमि में अपना सही व वास्तविक नाम पुनः दर्ज करवाना चाहते है। उक्त नामान्तरण स्वीकृत करवाने की पूर्व में किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी। अपीलान्ट ग्राम गुड़ा चुतरा की उक्त कृषि भूमि नामान्तरण संख्या 445 व ग्राम गुड़ा कलां की उक्त कृषि भूमि नामान्तरण संख्या 1217 को पुनः निरस्त करवाकर वापस सही नाम फौतेदगी नामान्तरण दर्ज करवाना चाहती है। अपीलाधीन म्यूटेशन ग्राम पंचायत गुड़ाकलां द्वारा स्वीकृत करने एवं उक्त कृषि भूमि मौजा गुड़ाचुतरा व गुड़ा कलां में स्थित होने से न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। अतः अधिवक्ता मय अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील पेश कर अपीलाधीन ग्राम गुड़ाचुतरा के म्यूटेशन संख्या 445 स्वीकृत दिनांक 20.02.2019 को एवं ग्राम गुड़ाकलां के म्यूटेशन संख्या 1217 स्वीकृत दिनांक 20.02.2019 को अपास्त किया जावे एवं गोरखनाथ व लीला देवी के सभी विधिक वारिसान के सही नाम से नामान्तरण पुनः दर्ज करने अपील स्वीकार फरमाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिए सम्मन्स तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 02 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश ने वकालतनामा पेश किया। जबाब प्रा0 पत्र पेश नही करना चाहने से जबाब प्रा0 पत्र पेश करने का अवसर समाप्त किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 बावजूद सूचना तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है।

बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तरण में अपीलान्ट का नाम पण्डू देवी एवं अपीलान्ट की बहिन का नाम टीनु देवी दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज हुआ है, अपीलान्ट का वास्तविक व सही नाम ममता है तथा अपीलान्ट की बहिन टीनु का सही नाम सरला है। अपीलान्ट व अपीलान्ट की बहन के अन्य दस्तावेजात भी ममता देवी व सरलादेवी के नाम से है। अपीलान्ट व उसकी बहन के बाल्यकाल अवस्था में पन्डूदेवी व टीनु के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है, जिस वजह से पुष्पादेवी के उक्त नामान्तरण दर्ज करवाते समय बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाले नाम ही दर्ज करवा दिया, उक्त नामान्तरण ग्राम पंचायत में सरपंच महोदय द्वारा दिनांक 20.02.2019 को स्वीकृत करते समय अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस व सूचना नही दी गई, नही वारिसान के सही नाम बाबत जांच की गई। उक्त नामान्तरण स्वीकृत करने में सरपंच ग्राम पंचायत गुडा कला द्वारा तथ्यात्मक भुल की गई है। अतः अपीलाधीन ग्राम गुड़ाचुतरा के म्यूटेशन संख्या 445 स्वीकृत दिनांक 20.02.2019 को एवं ग्राम गुड़ाकलां के म्यूटेशन संख्या 1217 स्वीकृत दिनांक 20.02.2019 को अपास्त किया जावे एवं गोरखनाथ व लीला देवी के सभी विधिक वारिसान के सही नाम से नामान्तरण पुनः दर्ज करने अपील स्वीकार फरमाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने भी अपनी सहमति/स्वीकारोक्ति व्यक्त की है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन यिा गया । वस्तुतः सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ा कलां द्वारा ग्राम गुड़ाचुतरा के म्यूटेशन संख्या 445 स्वीकृत दिनांक 20.02.2019 को एवं ग्राम गुड़ाकलां के म्यूटेशन संख्या 1217 स्वीकृत दिनांक 20.02.2019 गोरखनाथ व लीला देवी के बिना विधिक जांच किए दर्ज किया गया जो अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है, जिससे अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना, उक्त नामान्तरकरण खारिज किया जाना तथा तहसीलदार, सोजत को मूल नामान्तरकरण इस निर्देश के साथ कि वे गोरखनाथ व लीला देवी के विधिक रूप से पुनः जांच करके नामान्तरकरण पारित करें, प्रति प्रेषित किया जाना उचित समझते है।

–: **आदेश** :–

अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार योग्य है, लिहाजा स्वीकार की जाती है। ग्राम गुड़ाचुतरा के म्यूटेशन संख्या 445 स्वीकृत दिनांक 20.02.2019 को एवं ग्राम गुड़ाकलां के म्यूटेशन संख्या 1217 स्वीकृत दिनांक 20.02.2019 विधि–विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती हैं कि वे ग्राम गुड़ाचुतरा के म्यूटेशन संख्या 445 स्वीकृत दिनांक 20.02.2019 को एवं ग्राम गुड़ाकलां के म्यूटेशन संख्या 1217 स्वीकृत दिनांक 20.02.2019 को अपास्त किया जावे एवं गोरखनाथ व लीला देवी के सभी विधिक वारिसान की पुनः नये सिरे से जांच करके विधिसम्मत नामान्तरकरण पारित करें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 13/10/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)